

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

देवीलाल बनाम

मनोहरलाल वर्गौ०

किसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु० नं० 76 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/121

तारीख
हुवम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

01-04-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी श्री बलवीर सिंह जाखड़ उपस्थित। वकिल प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकिल प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकरिमकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 0.6650 हैक्ट0 राजस्व ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना का बेचान व निर्माण आदि नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नामकाथाना (सीकर)



02/05/2025

वकुलाय उप०। अजाबगीठा सं. 2; 4 व 5 की तारीख सम्म
जप से होना पानी गयी। नावजूद सम्मक तारीख अनिश्चित।
अतः अजाबगीठा सं. 2, 4 व 5 में विद्युत एकपत्रीय
कार्यवाही सम्मक में लाई जाती है। वास्ते पेश होने
जवान अजाबगीठा सं. 1 व 3 मिसल दिनांक 24/6/25
को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25
को पेश है।

3/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/9/25
को पेश है।

08/09/25

वकुलाय उप०। जा० पत्र टी० भा० सं. 111 की मूल
वापत्र आज फेसल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति
में कार्यवाही उल्लेख में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। अतः कार्यवाही उल्लेख इसी स्तर पर खूब
किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो तथा बाद तकमिल टाउल फरत ही।
निर्णय से टजलास सुनाया गया